

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री सोहनदेवी पुत्री कालु पत्नी गोपीलाल जाति डांगी निवासी गोविन्दपुरा गन्दोली तहसील घासा हाल—7 श्री जी कॉलोनी सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के पास खारा कुआ उदयपुर जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घासा जिला उदयपुर।
2. पटवारी पटवार हल्का खेमली तहसील घासा जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 09/25 (वाद) GCMS No. – 2025/23

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री किया जाता है कि मौजा झंजेला पटवार हल्का खेमली तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 19, 25, 18, 24, 22 पर दर्ज आराजीयात भूमि में वादीया का नाम सोहनी पुत्री कालु, सोहनी पुत्र कालु के बजाय सोहनदेवी उर्फ सोहनी पुत्री कालु संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.10.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

